



छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
(छ.ग.शासन का उपक्रम)

“मुख्यालय” बीज भवन रविग्राम तेलीबांधा जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

Phone:-0771- 4212201-228, Fax :- 0771- 4046039,4269654

E-mail :cgbkvn_homs@yahoo.co.in,

क्र./मुख्या./RCO-24/2023-24 / 11178

रायपुर, दिनांक- 15/01/2024

प्रति,

जिला प्रबंधक,

संशोधित प्रसारण

रायपुर/ बलौदाबाजार/ दुर्ग/ बेमतरा/ बालोद/ राजनांदगांव/ जगदलपुर/
बिलासपुर/ जांजगीर/ रायगढ़/ अम्बिकापुर/ धमतरी/ महासमुंद/ कवर्धा/
कांकेर/ कोरबा/ कोरिया/ जशपुर/ दंतेवाड़ा/ मुंगेली/ गरियाबंद

विषय :- RCO-24"Fisheries Material (Fish Ice Box, Cage)" वर्ष 2022-23 की
क्रय-विक्रय संशोधित दरे प्रसारित करने बाबत।

संदर्भ :- मुख्यालय से काऊंटर ऑफर जारी दिनांक 30.06.2022

1. क्र/मुख्या/RCO-24/2022-23/5514 रायपुर, दिनांक 16.08.2022 (प्रथम प्रसारण)
2. क्र/मुख्या/RCO-24/2023-24/4309 रायपुर, दिनांक 25.07.2023 (प्रथम वैधता अवधि)

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि निगम की ऑनलाईन आमंत्रित RCO-24"Fisheries Material (Fish Ice Box, Cage)" वर्ष 2022-23 में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए दर प्रसारण तिथि 16.08.2022 से संलग्न दरे आगामी एक वर्ष दिनांक 09.08.2023 की अवधि तक लागू किया गया था, जिसकी वैधता अवधि में छः माह की वृद्धि किया गया है। जो दिनांक 08.02.2024 तक लागू रहेगी। निम्नानुसार कंपनी के संशोधित क्रय-विक्रय दरे संलग्न कर प्रेषित है :-

CG STATE

1. M/s Fishco, Office/Factory, Add- M.G. Road, Raipur (C.G.) Contact Person-Mr. Narinder Singh Saluja Mobile No.- 9424229501 Email- fishco.raipur@gmail.com
2. M/s Marine Products Office/Factory, Add R.S. Complex, M.G. Road, Raipur (C.G.) Contact Person-Mr.Navdeep Singh Saluja Mobile No.- 8889406406 Email- marinproducts70@gmail.com

OTHER STATE

3. M/s Das & Kumars D63/10. Mahmoor Ganj, Varanasi (U.P.) -221010 Contact Person- Mr.Pravin Kumar Ph. No.- 0542-2220414 Mobile. No.- 9839045745 Email- daskumars@gmail.com

आदान सामग्री प्रदाय की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. दर —(अ) निविदाकर्ताओं को बेसिक रेट-शासन द्वारा लागू कर की दरें CGST+SGST/IGST देय होगा। CGST+SGST/IGST की राशि जमा करने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा। बिल में बेसिक रेट व टैक्स पृथक-पृथक दर्शाया जाना आवश्यक होगा। देयक का प्रारूप ई-कृषि पोर्टल के अनुरूप ही स्वीकार्य होगा।

(ब) यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा टैक्स की नीति एवं दरों में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित दरें ही मान्य होंगी।

2. उपरोक्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन जो विभाग के विकासखण्ड कार्यालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य स्थान हो सकते हैं, तक रहेगी। अन्य कोई भुगतान अलग से नहीं किया जावेगा।
3. समस्त सामग्री निर्धारित मानक मापदंड एवं गुणवत्ता का प्रदाय करनी होगी।
4. प्रदायक द्वारा ई-कृषि (online) में मांग अनुसार क्रय आदेश जारी होने पर संबंधित प्रदायकर्ता को समयावधि के भीतर निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री प्रदाय करना होगा।
5. प्रदायकर्ता को "प्राइज फाल क्लोज" का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि प्रदायक किसी शासकीय विभाग/संस्थान/निजी संस्थान में निगम की विक्रय दरों से कम में विक्रय करता है तो वहीं दरें स्वयंमेव निगम में लागू मानी जावेंगी तथा विभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा। यदि शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो अधिक भुगतान राशि वसूली योग्य होगी।
6. प्रदायक की एम.आर.पी. किसी भी समय निगम की विक्रय दरों से कम नहीं होना चाहिए, अनुबंध की वैधता के दौरान यदि प्रदायक दरें कम करता है तो उसकी सूचना तत्काल "बीज निगम" मुख्यालय को देनी होगी, जिससे दरों में संशोधन किया जा सकें अथवा एम.आर.पी. कम पायी जाती है तो तदनुसार ही क्रय दरों की गणना की जाकर दरें कम की जा सकेंगी तथा अन्तर की राशि प्रदायक के लंबित बिलों एवं सिक्यूरिटी राशि से वसूली की जावेगी।
7. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के जारी किये जाने वाले इन्वॉइस/बिल संबंधित क्रेता विभाग को संबोधित करते हुए ई-कृषि पोर्टल पर अपलोड कर संबंधित विभाग से भुगतान प्राप्त करेंगे।
8. प्रदायकर्ता द्वारा **Online E-Krishi** पोर्टल के माध्यम से जारी प्रदाय आदेश के विरुद्ध प्रदाय सामग्री के देयक में निगम **Inspection Charges** के रूप में **Order amount** के **Basic amount** में **5%+ 18 % GST** को देयक में शामिल कर क्रेता विभाग को देयक जारी करेंगे।
9. प्रदेश के अन्दर के प्रदायकों के वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा करने की जवाबदारी प्रदायक की होगी।
10. प्रेषित किये जा रहे दरों में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आती है तो वह संशोधन योग्य होगी।
11. इंसपेक्शन की कार्यवाही पूर्ण होने पर बीज निगम इंसपेक्शन जिसके देयक संबंधित प्रदायक को ऑनलाइन ई-कृषि **Portal** पर प्रेषित करेगा, जिसका भुगतान प्रदायकर्ता निर्धारित समयावधि में करेगा, अन्यथा की स्थिति में बीज निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि प्रदायकर्ता के विरुद्ध ब्लेक लिस्टेड/डिबार/ई.एम.डी. राजसात अथवा अन्य कार्यवाही कर सकेंगे।
12. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम के विवाद का क्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षति के लिये कम्पनी पूर्णतः जवाबदार होगी।
13. उक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रदायकर्ता को आर.सी.ओं./अनुबंध में दी गई समस्त शर्तों एवं ई-कृषि की सभी शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
14. आर.सी.ओं. की नियम एवं शर्तों के अनुसार आर.सी.ओ. की दरों में कमी, बढ़ोत्तरी या किसी भी फर्म की दरों को निरस्त करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
15. जारी दरें बीज निगम के माध्यम से व्यवसाय करने हेतु मान्य होगी।
16. ई-कृषि सॉफ्टवेयर में आर.सी.ओं. शर्तों के अनुरूप भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो निविदाकर्ता को मान्य होगा।


संलग्न -PURCHASE & SELLING RATE OF RCO-24" Fisheries Material (Fish Ice Box, Cage)" वर्ष 2022-23

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)


उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

प्रतिलिपी :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, छ.ग.शासन, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक महोदय, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक कृषि, छ.ग.शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक उद्यान, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक मछली पालन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. महाप्रबंधक, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
9. उप महाप्रबंधक, आर.सी.ओ./स्थापना, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
10. उप संचालक (कृषि) वसूली, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
11. उप संचालक कृषि, जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
12. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, जिला(समस्त) की ओर सूचनार्थ।
13. उप संचालक (वित्त), मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
14. प्रबंधक वित्त एवं कर, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. उप प्रबंधक (वित्त/लेखा), भुगतान शाखा, अंकेक्षण शाखा, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
16. लेखा अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. आर.सी.ओ. कक्ष, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि निगम के ई-कृषि Portal (<http://rco.cgbeejnigam.org>) में ऑनलाइन अपलोड सुनिश्चित करें।
18. प्रदायक M/s-----की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त शर्तों/अनुबंध की शर्तों एवं निविदा की शर्तों का कृपया पालन सुनिश्चित करें।


 उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
 मुख्यालय, रायपुर

C.G. RAJYA BEEJA EVAM KRISHI VIKAS NIGAM LTD.
HEAD OFFICE "BEEJ BHAWAN" TELIBANDHA RAVIGRAM RAIPUR (C.G.)
PURCHASE & SELLING RATE OF RCO-24 Fisheries Material (Fish Ice Box, Cage) - For The Year 2022-23


संशोधित
 वैधता तिथि 08.02.2024

Sl.No./H.O./RCO-24/2023-24/ 1178/79 Date 15/02/2024

GST No. 22AJNPS2652Q1ZK (Fishco)

M/s Fishco
 Office/Factory Add- M.G. Road Near Manju Mamta Hotel Raipur Contact Person-
 Mr. Narinder Singh Saluja Mobile No.-9406406406 Email-fishco.raipur@gmail.com

S.No.	Item S.No.	Item	Unit	HSN Code	GST 18%	Brand Name	Basic Rate	CGST 9%	SGST 9%	Total Purchase Rate	Nigam Margin/ Inspection Charges 5%	GST 18 % on Inspection Charges	Selling Rate F.O.R. Destination (11+12+13)
1	2	Fish ice Box	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1) 50 Liter Capacity-Other details as per technical Specification	LITRE	3923	18%	VRAJ PLAST	5040.00	453.60	453.60	5947.20	252.00	5292.00	476.28


 (अनुपजी बजाज)
 उपाय महाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
 मुख्यालय, रायपुर

C.G. RAJYA BEEJA EVAM KRISHI VIKAS NIGAM LTD.

HEAD OFFICE "BEEJ BHAWAN" TELIBANDHA RAVIGRAM RAIPUR (C.G.)

PURCHASE & SELLING RATE OF RCO-24 Fisheries Material (Fish Ice Box, Cage) - For The Year 2022-23

संशोधित
वैधता तिथि 08.02.2024

SI.No./H.O./RCO-24/2023-24/ 11178/79 Date 15/01/2024

GST No. 22AJNPS2772D1Z6 (Marine Products)

M/s Marine Products

Office/Factory Add- R.S. Complex, M.G. Road Raipur Contact Person-

Mr. Navdeep Singh Saluja Mobile No.-8889406406 Email-marinproducts70@gmail.com

S.No.	Item S.No.	Item	Unit	HSN Code	GST 18%	Brand Name	Basic Rate	CGST 9%	SGST 9%	Total Purchase Rate	Nigam Margin/ Inspection Charges 5%	GST 18 % on Inspection Charges	Selling Rate F.O.R. Destination (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Fish ice Box 1) 50 Liter Capacity-Other details as per technical Specification	LITRE	3923	18%	DURACA PLAST CREATION	5040.00	453.60	453.60	5947.20	252.00	45.36	6244.56


(अश्वनी बंजारा)

उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

C.G. RAJYA BEEJA EVAM KRISHI VIKAS NIGAM LTD.

HEAD OFFICE "BEEJ BHAWAN" TELIBANDHA RAVIGRAM RAIPUR (C.G.)

PURCHASE & SELLING RATE OF RCO-24 Fisheries Material (Fish Ice Box, Cage) - For The Year 2022-23

संशोधित
वेधता तिथि 08.02.2024


SI.No./H.O./RCO-24/2023-24/ 1178/79 Date 15/01/2024

GST No. 09AABFD6235F1ZN (Das & Kumars)

M/s Das And Kumars

Office/Factory Add- D63/10 Mahmooarganj Varanasi Contact Person- Mr. Pravın Kumar
Mobile No.-9839045745, Email-daskumars@yahoo.com

S.No.	Item S.No.	Item	Unit	HSN Code	GST 18%	Brand Name	Basic Rate	IGST 18%	Total Purchase Rate	Nigam Margin/ Inspection Charges 5%	GST 18 % on Inspection Charges	Selling Rate F.O.R. Destination (10+11+12)
1	2	Fish ice Box	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1) 50 Lier Capacity-Other details as per technical Specification	LITRE	3923	18%	SEAPLAST	5040.00	907.20	5947.20	252.00	45.36	6244.56


(अश्वनी बजारा)
उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर